



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19092026-276328
CG-DL-W-19092026-276328

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 19—सितम्बर 25, 2026 (भाद्रपद 28, 1948)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 19—SEPTEMBER 25, 2026 (BHADRA 28, 1948)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, ...	401	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं, ...	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	915	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं), ...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	9	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश, ...	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	1579	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	3927
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम, ...	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस, ...	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ...	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट, ...	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं, ...	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं), ...			

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	401	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	915	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	9	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1579	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3927
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	7903
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 सितम्बर 2026

सं.9-1/2026-यू.3(ए): जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, साउ. मथुराबाई भाऊसाहेब थोराट सेवाभावी ट्रस्ट (एसएमबीटी सेवाभावी ट्रस्ट) द्वारा दिनांक 15.05.2025 को यूजीसी के पोर्टल पर निम्नलिखित संस्थानों को शामिल करते हुए एसएमबीटी, एसएमबीटी एजुकेशनल कैंपस, नंदी हिल्स, धामनगांव-घोटी, नासिक, महाराष्ट्र के नाम पर विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत 'सम विश्वविद्यालय' संस्था का दर्जा प्रदान करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था:

- i. एसएमबीटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी;
- ii. एसएमबीटी आयुर्वेद कॉलेज एवं अस्पताल;
- iii. एसएमबीटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर;
- iv. एसएमबीटी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड रिसर्च;
- v. एसएमबीटी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग; और
- vi. एसएमबीटी कॉलेज ऑफ फ्रिजियोथेरेपी।

3. और जबकि, शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर, एसएमबीटी, नासिक, महाराष्ट्र के नाम पर विशिष्ट श्रेणी के तहत सम विश्वविद्यालय का दर्जा देने से पहले तीन वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए एसएमबीटी सेवाभावी ट्रस्ट को दिनांक 06.03.2026 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. और इसके अलावा, एसएमबीटी सेवाभावी ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी ने दिनांक 09.04.2026 के पत्र के माध्यम से आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे बाद में सत्यापन और सलाह के लिए यूजीसी को भेज दिया गया। इसके अलावा, यूजीसी ने सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट को उसकी विशेषज्ञ समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा दिनांक 06.07.2026 को आयोजित अपनी 598वीं बैठक (मद संख्या 2.15) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

5. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एसएमबीटी, नंदी हिल्स, धामनगांव-घोटी, नासिक, महाराष्ट्र को उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित संस्थानों से युक्त एक विशिष्ट श्रेणी के तहत एक सम-विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषित करता है। उक्त घोषणा निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है:

- i. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
- ii. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- iii. एसएमबीटी सेवाभावी ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहे अन्य सभी संस्थानों (अधिसूचना के पैरा 2 में उल्लिखित को छोड़कर) को मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना एसएमबीटी (सम-विश्वविद्यालय), नासिक, महाराष्ट्र के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा।

- iv. एसएमबीटी, नासिक, महाराष्ट्र में संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- v. एसएमबीटी, नासिक, महाराष्ट्र अपने पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- vi. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और एसएमबीटी, नासिक, महाराष्ट्र द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।
- vii. एसएमबीटी, नासिक, महाराष्ट्र यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को एमओए प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक हो, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या परिवर्तित करेगा।
- viii. एसएमबीटी, नासिक, महाराष्ट्र यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- ix. एसएमबीटी, नासिक, महाराष्ट्र इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- x. एसएमबीटी, नासिक, महाराष्ट्र को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) अनिवार्य रूप से बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान (आईडेंटिटी) करनी होगी, उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल पर प्रदर्शित हों और समर्थ ई-जीओवी को अपनाएगा।

के.एम. प्रफुल्लचंद्र शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 3rd September 2026

No. 9-1/2026-U.3(A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, an online application dated 15.05.2025 was submitted by the Sau. Mathurabai Bhausaheb Thorat Sevabhavi Trust (SMBT Sevabhavi Trust) on the UGC's Portal for grant of Institution deemed to be University status under distinct category in the name of SMBT, SMBT Educational Campus, Nandi Hills, Dhamangaon-Ghoti, Nashik, Maharashtra consisting of the following institutions:

- i. SMBT College of Pharmacy;
- ii. SMBT Ayurveda College & Hospital;
- iii. SMBT Institute of Medical Sciences & Research Centre;
- iv. SMBT Institute of Dental Sciences & Research;
- v. SMBT Institute of Nursing; and
- vi. SMBT College of Physiotherapy.

3. And whereas, Ministry of Education, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 06.03.2026 to SMBT Sevabhavi Trust for fulfilment of certain conditions within a period of three years before conferment of Institution deemed to be University status under distinct category in the name of SMBT, Nashik, Maharashtra.

4. And further whereas, the Managing Trustee, SMBT Sevabhavi Trust, vide letter dated 09.04.2026, submitted compliance report in respect of the conditions mentioned in the LoI, which was then forwarded to UGC for verification and advice. Further, UGC informed that the compliance report was accepted by its Expert Committee. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 598th meeting (Item No. 2.15) held on 06.07.2026.

5. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares SMBT, Nandi Hills, Dhamangaon-Ghoti, Nashik, Maharashtra as an Institution deemed to be University under distinct category consisting of the institutions mentioned in para 2 above. The said declaration is subject to the following conditions:

- i. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
- ii. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- iii. All other Institutions (except as mentioned in para 2 of the Notification) running under SMBT Sevabhavi Trust shall not be included under the purview of SMBT (Deemed to be University), Nashik, Maharashtra without previous approval of the Ministry.
- iv. The academic programmes to be offered at SMBT, Nashik, Maharashtra shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- v. SMBT, Nashik, Maharashtra shall align its courses with National Education Policy-2020.
- vi. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by SMBT, Nashik, Maharashtra.
- vii. SMBT, Nashik, Maharashtra shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to this Ministry and UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.
- viii. SMBT, Nashik, Maharashtra shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- ix. SMBT, Nashik, Maharashtra shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- x. SMBT, Nashik, Maharashtra shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

K.M. PRAPHULLACHANDRA SHARMA, Joint Secretary

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002

AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

GORAKH Digitally signed
by GORAKH
A NATH
NATHI YADAVA
Date: 2026.09.19
09:37:06 +05'30'